

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 906/2012/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड - तृतीय, वृत्त - अ, जोधपुर।
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स मरूधर केसरी मेटल्स,,
सर्किट हाउस रोड, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक।
श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/03/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 76/आरवैट/जेयूए/10-11 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त अ, जोधपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 18, 24(4), 55 व 58 के अन्तर्गत आरोपित कर राशि रूपये 2,78,837/-, शास्ति राशि रूपये 500/- एवं ब्याज राशि रूपये 75,583/- कुल मांग राशि रूपये 3,54,920/- के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर आयरन स्क्रैप की खरीद-बिक्री का कार्य किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स बालाजी वेस्ट्स, नेतारा से की गई खरीद की जांच सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, सुमेरपुर (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा करवायी जाने पर उन्होंने पाया कि मैसर्स बालाजी वेस्ट्स, नेतारा द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये है, एवं उनके पते पर कोई फर्म अस्तित्व में नहीं पायी गई, इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कर राशि रूपये 2,78,837/-, शास्ति राशि रूपये 500/- एवं ब्याज राशि रूपये 75,583/- कुल मांग राशि रूपये 3,54,920/- का आरोपण कर दिया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.10.2011 के द्वारा प्रतिप्रेषित करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स बालाजी वेस्ट्स, नेतारा से कुल खरीद 26 बिलों द्वारा राशि रुपये 70,00,884/- के आयरन स्क्रैप की खरीद की गई, परन्तु जांच में मैसर्स बालाजी वेस्ट्स नाम से कोई फर्म अस्तित्व में नहीं पायी गई, एवं उनके द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के दौरान कोई विवरण पत्र एवं कर जमा नहीं करवाया। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त फर्म मैसर्स बालाजी वेस्ट्स से की गई खरीद पर रिवर्स किया गया इनपुट टैक्स राशि रुपये 2,78,837/- यथावत् रखे जाने योग्य है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने एक पंजीकृत फर्म मैसर्स बालाजी वेस्ट्स, नेतारा जिसका टिन संख्या - 08633354272 है, से आयरन स्क्रैप की खरीद की गई थी। अब विक्रेता फर्म प्रत्यर्थी व्यवहारी के सम्पर्क में नहीं होने के कारण उनके द्वारा विक्रेता फर्म का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उन्होंने कथन किया कि विक्रेता फर्म द्वारा कर जमा नहीं करवाया जाकर अपना दायित्व पूरा नहीं किया, तो इसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने एक पंजीकृत फर्म से मूल वैट इनवॉइस के जरिए माल की खरीद की है, जिसका भुगतान उनके द्वारा बैंक के चैक के जरिये किया गया। विक्रेता फर्म द्वारा अपना दायित्व पूरा नहीं करने के कारण उनके क्लेम को निरस्त किया जाना अविधिक है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2011 को अपीलाधीन आदेश पारित कर उक्त प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में कोई आदेश पारित नहीं किया, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दो वर्ष के भीतर आदेश पारित करना सर्वथा आवश्यक था। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **खेमजी विश्राम एण्ड सन्स बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 10.09.2011 (2001) टीयूडी 1 पार्ट 2 पेज 36 (RTB)** को उद्धरित किया। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं। अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर के आदेश के विरुद्ध कर बोर्ड, अजमेर में प्रस्तुत की है। अतः इसका गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है।
6. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी आयरन स्क्रैप के क्रय-विक्रय का कार्य करता है। अवधि वर्ष 2008-09 में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स बालाजी वेस्ट्स, नेतारा से आयरन स्क्रैप माल की खरीद की गई, एवं उक्त अवधि के लिए उन्होंने आई.टी.सी. क्लेम किया, जिसकी जांच के दौरान पाया कि मैसर्स बालाजी वेस्ट्स, नेतारा द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये है, एवं उनके पते पर कोई फर्म अस्तित्व में नहीं पायी गई। हस्तगत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को उक्त अवधि के लिए आई.टी.सी. देय होगा अथवा नहीं? कर निर्धारण अधिकारी को किसी भी व्यवहारी को आई.टी.सी. देने से पूर्व यह पूर्ण रूप से ज्ञात होना चाहिए कि विक्रेता व्यवहारी फर्म द्वारा विभाग को कर जमा करवा दिया गया है अथवा नहीं? उक्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कराई गई जांच में पता

चला कि विक्रेता व्यवहारी अस्तित्व में नहीं है, इस बाबत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को भी विक्रेता व्यवहारी के रिटर्न जमा करवाने हेतु लिखा गया, परन्तु उन्होंने जमा करवाने से मना कर दिया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने बिना अस्तित्व की फर्म से माल क्रय किये जाने के कारण प्रत्यर्थी फर्म को आई.टी.सी. देने से मना कर दिया। विभाग ने उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर के आदेश के विरुद्ध राजस्थान कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की है जिसका गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है। यह रिकार्ड से प्रमाणित है कि विक्रेता फर्म का सुमेरपुर में कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। न ही उसने कर जमा कराकर विभाग में रिटर्न प्रस्तुत किये है। इस संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ अपील संख्या 869/2008/श्रीगंगानगर वा.क.अ. श्रीगंगानगर बनाम मै. सतीश गोयल एण्ड सन्स, श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 17.05.2012 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 18(3)(V) में यह व्यवस्था की गई है कि क्रेता व्यवसायी का यह कर्तव्य है कि वह अपने खरीद संबंधी संव्यवहार की प्रमाणिकता, सत्यता सिद्ध करें। इस संदर्भ में वेट अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान भी सुसंगत है, जो इस प्रकार है :-

"Burden of Proof :- The Burden of proving that any sale or purchase effected by any person is not liable to tax for any reason under this Act or to prove for entitlement of input tax credit on any purchases, shall be on such person"

उक्त प्रावधानों के अनुसार भी किसी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता साबित करने का भार क्रेता व्यवहारी पर ही है, जो इस प्रकरण में पूरा नहीं किया गया है। अतएव व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलौच्य अवधि की विवादित खरीद के संव्यवहार सही होना प्रमाणित करने में असफल रहने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थी को उक्त खरीद पर वेट अधिनियम की धारा 18(3)(V)के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अस्वीकार किया जाकर कर एवं ब्याज का आरोपण किया जाना पूर्णतः विधिसम्मत है।

7. परिणामस्वरूप उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2011 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य